



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082026-275276
CG-DL-E-07082026-275276

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4195]
No. 4195]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4371(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3730 (E) तारीख 13/08/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में NH 151K के कि.मी. 17.4 से कि.मी.51.2 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "04/09/2025 को "थे इंडियन एक्सप्रेस [इंग्लिश]", 04/09/2025 को "आजकाल" " में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में NH 151K के कि.मी. 17.4 से कि.मी.51.2 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: देवभूमि द्वारका		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: भानवड					
गांव का नाम: भरतपुर					
1	355	निजी	एग्रीकल्चर	0.3906	मेर नागाजन बालू
2	401	निजी	एग्रीकल्चर	0.1658	हाजराबेन अब्बासभाई हिंगोरा, आईशाबेन अब्बासभाई हिंगोरा, हाजीभाई अब्बासभाई हिंगोरा, जेनूबेन अब्बासभाई हिंगोरा, मामदभाई अब्बासभाई हिंगोरा, सारबाई अब्बासभाई हिंगोरा, यूनुसभाई अब्बासभाई हिंगोरा, बीबीबेन अब्बासभाई हिंगोरा
3	410	निजी	एग्रीकल्चर	0.065	मामद हाजी हिंगोरा, शबीरहुशेन जुमाभाई हिंगोरा
4	46	निजी	एग्रीकल्चर	0.0529	मेर परबतभाई मांडणभाई ओडेदरा, मेर नैतिक परबतभाई

					ओडेदरा (द्वारा संरक्षक: परबतभाई मांडणभाई ओडेदरा)
5	47	निजी	एग्रीकल्चर	0.0238	रामभाई नाथाभाई ओडेदरा
6	48	निजी	एग्रीकल्चर	0.0127	मेर परबतभाई मांडणभाई ओडेदरा, मेर नैतिक परबतभाई ओडेदरा (द्वारा संरक्षक: परबतभाई मांडणभाई ओडेदरा)
7	50	निजी	एग्रीकल्चर	0.0784	पुष्पा रामभाई ओडेदरा
8	54	निजी	एग्रीकल्चर	0.0453	प्रतापभाई सवदासभाई मेर, भिनीवेन सीदीभाई मेर
गांव का नाम: मेवासा					
9	106	निजी	एग्रीकल्चर	0.0423	कानाभाई नथुभाई करथिया, राजाभाई नथुभाई करथिया
10	107	निजी	एग्रीकल्चर	0.045	कानाभाई नथुभाई करथिया, राजाभाई नथुभाई करथिया
गांव का नाम: भाणवड (एम)					
11	251	निजी	एग्रीकल्चर	0.1683	मेर सामतभाई खोडाभाई
12	320	निजी	एग्रीकल्चर	0.0785	मेर करशन हाजा
13	569	निजी	एग्रीकल्चर	0.1418	भरतभाई भीखुभाई मेर
Total				1.3104	

[फा. सं. GJ/LA-NH-151K/30/12/2023-24/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2026

S.O. 4371(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3730 (E) Dated:13/08/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH 151K in the stretch of land from Km. 17.4 to Km. 51.2 in the district of DEVBHUMI DWARKA in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” dated 04/09/2025, “AAJKAL” dated 04/09/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 151K in the stretch of land from Km. 17.4 to Km. 51.2 in the district of DEVBHUMI DWARKA in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: DEVBHUMI DWARKA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bhanvad					
Village: Bharatpur					
1	355	Private	Agriculture	0.3906	Mer Nagajan Balu
2	401	Private	Agriculture	0.1658	Hajaraben Abbasbhai Hingora, Aaishaben Abbasbhai Hingora, Hajibhai Abbasbhai Hingora, Jenuben Abbasbhai Hingora, Mamadbhai Abbasbhai Hingora, sarbai Abbasbhai Hingora, yunusbhai Abbasbhai Hingora, Bibiben Abbasbhai Hingora
3	410	Private	Agriculture	0.065	Mamad Haji Hingora, ShabirHusen Jumabhai Hingora
4	46	Private	Agriculture	0.0529	Mer Parbatbhai Mandanbhai Odedara, Mer Naitik Parbatbhai Odedara(th.Guardian

					Parbatbhai Mandanbhai Odedara)
5	47	Private	Agriculture	0.0238	Rambhai Nathabhai Odedara
6	48	Private	Agriculture	0.0127	Mer Parbatbhai Mandanbhai Odedara, Mer Naitik Parbatbhai Odedara(th.Guardian Parbatbhai Mandanbhai Odedara)
7	50	Private	Agriculture	0.0784	Pushpa Rambhai Odedara
8	54	Private	Agriculture	0.0453	Pratapbhai Savdasbhai Mer, Bhiniben Sidibhai Mer
Village: Mevasa					
9	106	Private	Agriculture	0.0423	Kanabhai Nathubhai Karathiya, Rajabhai Nathubhai Karathiya
10	107	Private	Agriculture	0.045	Kanabhai Nathubhai Karathiya, Rajabhai Nathubhai Karathiya
Village: Bhanvad (M)					
11	251	Private	Agriculture	0.1683	Mer Samatbhai Khodabhai
12	320	Private	Agriculture	0.0785	Mer Karshan haja
13	569	Private	Agriculture	0.1418	Bharatbhai Bhikhubhai Mer
Total				1.3104	

[F. No. GJ/LA-NH-151K/30/12/2023-24/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director